न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2021 **दायर दिनांकः 04/01/2021**

उनवान

1. विमल राय आयु 62 वर्ष पुत्र तेजकरण जाति सक्सेना (कायस्थ) निवासी मोठपुर हाल निवासी केशव कॉलोनी खानपुर रोड, कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. पुरूषोत्तम आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पास मोठपुर तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. रम्मू बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि भगवान जाति ब्राहमण निवासी मोठपुर हाल निवासी कोटा रोड साईबाबा मन्दिर के पास बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3. चन्दाबाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि स्व0 रामावतार जाति ब्राहमण निवासी मोठपुर हाल निवासी इकलेरा पो0 सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. भगवान आयु 52 वर्ष पुत्र जगदीश जाति धाकड निवासी धाकड समाज के मन्दिर के पास मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 13/01/2022

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर में खाता संख्या 425 के ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.67 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के पिता श्रीकृष्ण के हिस्सा 1/2 एवं

प्रतिवादी क्रम 4 के हिस्सा 1/2 दर्ज खाता स्थित है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस की प्रति साथ में संलग्न है। प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 के पिता श्रीकृष्ण की मृत्यु हो चुकी है उन्होने वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का उनके जीवनकाल में ही हिस्सा 1/2 की आराजी वादी को एवं शेष 1/2 हिस्सा की आराजी प्रतिवादी क्रम 4 को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा बेचान कर दी थी तथा बेचानशुदा आराजी के हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 4 का नाम दर्ज हो चुका है तथा शेष हिस्सा 1/2 की आराजी पर श्रीकृष्ण के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 ने हिस्सा 1/2 की आराजी उनके पिता द्वारा वादी को बेचान करने के कारण आराजी पर नामान्तकरण नहीं खुलवाया इसलिए उक्त वाद में मृतक श्रीकृष्ण के वारिसान को प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 बनाया गया है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी का पुराना खाता संख्या 262 के पुराना ख0नं0 1426 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा श्रीकृष्ण के दर्ज खाता स्थित था। श्रीकृष्ण ने उक्त आराजी में से हिस्सा 1/2 की आराजी प्रतिवादी क्रम 4 भगवान को बेचान की थी तथा हिस्सा 1/2 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेनाम दिनांक 28.02.1996 को वादी ने क्रय की थी। वादी को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण वादी ने उक्त खरीदशुदा 5 बीघा 3 बिस्वा आराजी का नामान्तकरण अपने पक्ष में नहीं खुलवाया। बाद सेटलमेन्ट पुराने ख0नं0 1426 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का नया ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 दर्ज किया गया है। जिसमें हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 4 भगवान का नाम दर्ज खाता स्थित है तथा हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 के पिता श्रीकृष्ण पुत्र भवरलाल का नाम दर्ज खाता स्थित है। इसलिए वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के हिस्सा 122 पर खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी एवं नॉलिशी है। बेनामा रजिस्ट्री एवं मिलान क्षैत्रफल की प्रति साथ में संलग्न है। वादी प्रतिवादी क्रम 4 से कोई अनुतोष नहीं चाहता है सहखातेदार होने के कारणद प्रतिवादी क्रम 4 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है इसलिए वादी उसकी तामील नहीं करवाना चाहता है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। अगर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने जबरन कब्जा कर लिया या आराजी को बेचान कर दिया तो वादी को अपने कब्जे काश्त की खरीदशुदा आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद

में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी तथा वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नही होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अस्तु वादी को रिये रजिस्टर्ड बेनाम खरीद की गई वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पुराना ख0नं0 1426 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के नये ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 के हिस्सा 122 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जावे तकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खरीदशुदा आराजी पर से जबरन बेदखल हीं करें तथा आराजी को रहन बेचान नहीं करें तथा वह वादी को उसके द्वारा खरीदशुदा उक्त आराजी का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार रजिस्टर्ड बेनामा से आराजी खरीद करने पर तथा नामान्तकरण वादी के नाम नहीं खुलने पर एवं अंतिम बार दिनांक 18/11/2020 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा वादी को आराजी पर से बेदखल करने एवं बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी०पी०सी० का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज० सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 5 बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मोठपुर तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः–

(अ) वादी को वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी के पुराना ख0नं0 1426 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के नये ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 के

हिस्सा 1/2 पर रजिस्टर्ड बैनाम के मुताबिक वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को रहन बेचान तथा वादी को उक्त वर्णित आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 पुरूषोत्तम पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहमण द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर वाद पत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष पर सहमति व्यक्त कर स्वीकार किया। वादी के अनुतोष पर आदेशिका पर अनापत्ति हस्ताक्षर किये। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 2 ल 5 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया ।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वादी को वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी के पुराना ख0नं0 1426 का रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के नये ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 के हिस्सा 1/2 पर रजिस्टर्ड बैनाम के मुताबिक वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को इस आशय की जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर से बेदखल नहीं करें और न ही आराजी को रहन बेचान तथा

वादी को उक्त वर्णित आराजी का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करें न ही ऐसा कृत्य अपने प्रतिनिधियों से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम मोठपुर के खाता संख्या 425 ख0नं0 546 रकबा 1.67 है0 में भगवान पुत्र जगदीश एवं श्रीकृष्ण पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज खाता है। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल संवत 1 जुलाई 1978 से 30 जून 2008 तक अनुसार ग्राम मोठपुर के साबिक ख0नं0 1426 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा का नया ख0नं0 546 रकबा 1.67 है0 दर्ज किये गये। खातेदार श्रीकृष्ण ने पुराना ख0नं0 1426 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा में से हि0 1/2 भूमि प्रतिवादी क्रम 4 भगवान को बैचान की थी जिसका नाम जमाबन्दी में दर्ज है तथा 1/2 हिस्सा वादी विमलराय को जर्ये रजिस्टर्ड दिनांक 28.02.1996 को बैचान की थी जिसका वादी द्वारा 5 बीघा 3 बिस्वा आराजी का नामान्तकरण अपने पक्ष में नहीं खुलवाया गया। बैनामे के अनुसार वादी द्वारा खरीद किया 1/2 हि0 पुराना ख0नं0 1426 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा के नये ख0नं0 546 का रकबा 1.67 है0 के हिस्सा 1/2 में श्रीकृष्ण का नाम दर्ज है। जो प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 के पिता है। रजिस्टर्ड बैनामें के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की नई खाता संख्या 425 की ख0नं0 546 रकबा 1.67 में से हिस्सा 1/2 श्रीकृष्ण के स्थान पर वादी विमल राय पुत्र तेजकरण जाति सक्सेना को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 06/2021

उनवान

1. विमल राय आयु 62 वर्ष पुत्र तेजकरण जाति सक्सेना (कायस्थ) निवासी मोठपुर हाल निवासी केशव कॉलोनी खानपुर रोड, कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. पुरूषोत्तम आयु 65 वर्ष पुत्र श्रीकृष्ण जाति ब्राहमण निवासी पुराने थाने के पास मोठपुर तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. रम्मू बाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि भगवान जाति ब्राहमण निवासी मोठपुर हाल निवासी कोटा रोड साईबाबा मन्दिर के पास बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
3. चन्दाबाई आयु 58 वर्ष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नि स्व0 रामावतार जाति ब्राहमण निवासी मोठपुर हाल निवासी इकलेरा पो0 सहरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0।
4. भगवान आयु 52 वर्ष पुत्र जगदीश जाति धाकड निवासी धाकड समाज के मन्दिर के पास मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मोठपुर की नई खाता संख्या 425 की ख0न0 546 रकबा 1.67 में से हिस्सा 1/2 श्रीकृष्ण के स्थान पर वादी विमल राय पुत्र तेजकरण जाति सक्सेना को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ल 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 13.01.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)